

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-02042024-253516
SG-DL-E-02042024-253516असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25]	दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 2, 2024/चैत्र 14, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 02
No. 25]	DELHI, TUESDAY, APRIL 2, 2024/CHAITRA 14, 1946	[N. C. T. D. No. 02

भाग II—I
PART II—Iराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 27 मार्च, 2024

सं. 27/गजट/पी.एफ./अधिवर्षिता/2024.—दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी व वर्तमान में जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय)-02, पूर्व जिला, कड़कड़डूमा जिला न्यायालय के रूप में नियुक्त श्री चन्द्र शेखर, दिनांक 31 जुलाई, 2024 (अपराह्न) को 60 वर्ष की अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री चन्द्र शेखर के विरुद्ध अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक/विभागीय कार्यवाही लंबित या विचाराधीन नहीं है।

न्यायालय के आदेशानुसार,

कंवल जीत अरोड़ा, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI**NOTIFICATION**

Delhi, the 27th March, 2024

No. 27/Gaz/P.F./Superannuation/2024.— Mr. Chandra Shekhar, Officer of Delhi Higher Judicial Service and presently posted as District Judge (Commercial Court)-02, East, Karkardooma, shall stand retired from Delhi Higher Judicial Service in the afternoon of 31st July, 2024 on attaining the age of superannuation of 60 years.

It is certified that no disciplinary/departmental proceedings under All India Service (Discipline & Appeal) Rules, 1969 is pending or contemplated against Mr. Chandra Shekhar.

By Order of the Court,

KANWAL JEET ARORA, Registrar General